प्रायोगिक संस्करण

राजनीति विज्ञान की समझ

आस पास के परिवेश से शिक्षण

सत्र - 2010

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

राजनीति विज्ञान की समझ

आस–पास के परिवेश से शिक्षण

प्रायोगिक संस्करण

प्रकाशन वर्ष – 2010

विद्या दान परम दान

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
छत्तीसगढ़

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय

शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

राजनीति विज्ञान की समझ

प्रेरणास्त्रोत	श्री नंदकुमार (भा.प्र.से.) संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर
स्त्रोत पुरूष	श्री पवन कुमार गुप्ता निर्देशक, सिद्ध संस्थान मसूरी डॉ. श्री एल. के. तिवारी
मार्गदर्शक	श्रीमती प्रतिमा अवस्थी प्राचार्य / अपर संचालक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
समन्वयक समूह	श्रीमती एस. खरे श्रीमती जी. सेनगुप्ता
लेखक समूह	श्री आर. के. वर्मा श्री पूर्णानंद पांडे श्रीमती मीना शर्मा श्रीमती कल्पना देशमुख श्री कृष्णा सिंह श्रीमती एन. सबा श्रीमती इन्दू शुक्ला श्रीमती अनीता नायडू
सहयोग	प्रकोष्ठ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर

आमुख

शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को एक सफल व्यक्ति के रूप में तैयार करना है जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो और न सिर्फ अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके, उनके समाधान खोज सके बल्कि मानव और प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीते हुए अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर सके । परिवार, समाज और राष्ट्र के सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी का निर्वाह करते हुए समृद्धि और समाधान पूर्वक जीने की योग्यता से सम्पन्न व्यक्ति तैयार करना शिक्षा का कार्य है, इसीलिए कहा गया है – "शिक्षा जीवन की तैयारी है" ।

वर्तमान में हमारी शिक्षा ऐसा नहीं कर पा रही है । इसके अनेक कारणों में से एक कारण यह भी है, कि हम पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु को व्यावहारिक जीवन के संदर्भो से जोड़कर परोसने में असमर्थ रहे है ।

सिद्ध संस्थान मसूरी द्वारा तैयार की गई "इतिहास की समझ" से इतिहास को नये संदर्भो में देखने की दृष्टि मिलती है। इसीलिए उनके सहयोग से इस पुस्तक को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा राज्य के शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया ताकि इस विषय के प्रति उनकी समझ व सोच को एक नई दिशा मिल सके । इस पुस्तक की उपयोगिता को देखते हुए हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले प्रमुख विषयों में भी इस तरह की पुस्तक तैयार करने का सुझाव आया। अभी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हमारे सामने है और इसके अंतर्गत शिक्षकों का वृहत् पैमाने पर प्रशिक्षण किया जाना है, अतः इस तरह की पुस्तकें प्रशिक्षण के लिए बहुत अच्छी संदर्शिका भी साबित होगी, इस दृष्टि से यह सुझाव बहुउपयोगी एवं सकारात्मक था ।

यह निर्णय लिया गया कि राज्य में हाई तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल में बहुसंख्य विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले 11 विषयों में इस तरह की पुस्तकें तैयार की जायें । अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, कामर्स व अर्थशास्त्र में इस तरह की पुस्तकें तैयार करने का दायित्व उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान बिलासपुर को एवं हिन्दी, संस्कृत, जीव विज्ञान, भूगोल एवं राजनीति शास्त्र की जिम्मेदारी शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर को दी गई । इन संस्थाओं ने प्रत्येक विषय के लिए विषय विशेषज्ञों की समितियाँ बनाई । इन समितियों द्वारा सभी विषयों का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया । पहले ही प्रयास में कुछ विषय बहुत अच्छे बन पड़े थे तथापि हमें लगा कि इस पर अधिक गहन मंथन होना चाहिए । इसी सोच के तहत् तीन दिवसीय उन्मुखीकरण के लिए सिद्ध संस्थान मसूरी के निदेशक श्री पवन गुप्ता को एस.सी.ई.आर.टी. में आंमत्रित किया गया । इस विचार मंथन में समितियों के सदस्यों की समझ बनाने का बहुत अच्छा प्रयास हुआ । इस मार्गदर्शन से सभी में अधिक स्पष्टता आई कि विभिन्न विषयों की समझ संबंधी पुस्तकों को किस तरह का स्वरूप देना है ।

चूंकि विभिन्न विषयों की समझ संबंधी पुस्तकों पर अभी बहुत विचार मंथन और लगातार कार्य किए जाने की आवश्यकता है, अतः अभी तैयार पुस्तकें प्रायोगिक संस्करण के रूप में प्रकाशित की जा रही है । मैं चाहूंगा कि परिश्रमी व्याख्याता गण इनमें उद्धृत समझ के आधार पर विद्यार्थियों के साथ प्रयोग करें और देखें कि विद्यार्थियों का अभिमत क्या बनता है? सीखने की गति, विषय के प्रति रूचि तथा विषय की समझ के विकास में कोई अंतर आता है क्या? क्या वास्तव में इस पद्धति से आपका विषय विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार, अधिक मेहनत की ललक तथा मानवता के प्रति विश्वास जगाने में सफल होता है? इस प्रकार के प्रयोग संपूर्ण राज्य के सभी व्याख्याता करें । प्रयोग से मिले अच्छे अनुभवों को आई.ए.एस.ई. तथा सी.टी.ई. को भेजें । आपके प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर एक वर्ष बाद ये पुस्तकें संशोधित की जाएगी । वह पहला संस्करण होगा । इस प्रकार प्रत्येक 2–3 वर्षो में इसके संस्करण बदलते जाएंगे ऐसी हमें आशा है। तभी हम

कह पाएंगे कि हम, हमारे विषय तथा हमारे विद्यार्थी समय के साथ चल रहे है अन्यथा नहीं ।

अभी जितना भी प्रयास हुआ है उसके लिए उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान बिलासपुर व शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर के प्राचार्य, एस.सी.ई.आर.टी. का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रकोष्ठ, सभी विषयों के समन्वयक व लेखन समूह के सदस्यगण बधाई के पात्र है । हम सिद्ध संस्थान मसूरी के निदेशक श्री पवन गुप्ता जी के विशेष रूप से आभारी है, जिनके मार्गदर्शन में इन पुस्तकों को वर्तमान स्वरूप दिया जा सका ।

नंदकुमार

(भा.प्र.से.)

संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.

प्राक्कथन

शिक्षा एक सोद्देश्य प्रकिया है, जिसमें सीखना समाहित है और सीखने में निरन्तरता होती है । कोई अनुभव से सीखता है, कोई अध्ययन से, कोई सृजन से । शिक्षक होने का अर्थ सतत् अध्ययनशील बने रहना। जो शिक्षक ज्ञान की साधना बंद कर देता है वह अन्ततः ज्ञान का द्रोही बन जाता है। शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ मित्र है – पुस्तकें । शाला या महाविद्यालय तो हमारे सीखने के निश्चित केंन्द्र होते है । शेष जीवन तो आत्मशिक्षण से ही चलता है । यह अनिवार्य सत्य है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अध्ययन से असाधारण बन जाता है ।

सीखने से हमें बड़ा डर लगता है पर यह डर तभी तक रहता है, जब तक हम सीखना प्रारंभ नहीं कर देते । भ्रम की स्थिति तभी तक बनी रहती है, जब तक हम निर्णय लेने को कटिबद्ध नहीं हो जाते । ऊब या अरोमांच हमें तभी तक होता है, जब तक हम नित नवीन नहीं होते । ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, ज्ञान की विनम्रता होती है। ज्ञान का कोई पद नहीं होता, ज्ञान की श्रेष्ठता होती है । ज्ञान पर किसी का आधिपत्य नहीं होता। वह सबके लिए है और सब उसके लिए ।

आज शिक्षा के क्षेत्र में जो विषय की समझ की बात उठी है वह हमारे बदलते परिवेश की अत्यन्त महत्वपूर्ण और अनिवार्य माँग है । पढ़ाये जाने वाले विषय आज हमारे बच्चों के लिए केवल सूचना देने की व्यवस्था मात्र बनकर रह गये हैं । इसी कारण हमारी शिक्षा में हानि व अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं । सीखना अपने आप में एक मूल्यवान गतिविधि है खासकर तब जब वह सहायक और प्रेरणादायक माहौल में हो ।

आज हमें शिक्षा के नैसर्गिक संस्कार को समझते हुए उसे सहज बनाना होगा । उसकी दुरूहता को कम करते हुए उसे सहजता की ओर जाना होगा । पढ़ाये जाने वाले

विषयों की पाठ्यवस्तु को व्यवहारिक जीवन के विभिन्न संदर्भो से जोड़कर बताना होगा क्योंकि शिक्षा दर्शन के रूप में चिन्तन मूलक है, तो कर्म के रूप में अभ्यास मूलक, उपलब्धि के रूप में परिष्कार, और संस्कार मूलक है । शिक्षा एक पक्षीय विचार न होकर एक बहुआयामी, बहुस्त्रोतीय धारा है । यह मानव और प्रकृति के समन्वय से पैदा होती है । इसलिए इसे मानव और प्रकृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

आज हमें ऐसे नागरिक तैयार करने की आवश्यकता है, जो यह समझते हो कि "स्व" एवं प्रकृति के विविध उपादानों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियाँ है । उसके लिए उनमे उचित मूल्य और अभिवृत्तियों का विकास किया जाना जरूरी है । आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हमारी पढ़ाये जाने वाली विभिन्न पाठ्यपुस्तकें वे विषय बने जो बच्चों को सही सोचने व समझने वाला इंसान बनाए, उनके सर्वश्रेष्ठ को तलाशने में उनकी सहायता करे ।

वर्तमान दशा में शिक्षा हमारे नैतिक स्तर को उपर उठाने में बहुत कम भूमिका निभा पा रही है । यदि शिक्षा को केवल आर्थिक विकास के साथ–साथ मानवता के नैतिक विकास में भी योगदान करना है, तो इसमें हमें स्कूली शिक्षा के दौरान पढ़ाये जाने वाले विषयों पर बहुत अधिक सजग रहना होगा । पाठ्यांश को व्यावहारिक जीवन के साथ जोड़ना होगा ।

हमारी पाठ्य पुस्तकें नागरिक निर्माण की मजबूत कड़ी है । यह अधिक उपयोगी और सार्थक बने यह हम सब की सदेच्छा है । हम सब इसके लिए सदैव प्रयासरत है ।

(श्रीमती प्रतिमा अवस्थी)
प्राचार्य एवं अपर संचालक
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय
शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमाणिका

अध्याय–1	–	प्रस्तावना ।
अध्याय–2	–	राजनीति विज्ञान विषय के उद्देश्य ।
अध्याय–3	–	राजनीतिक व्यवस्था की समझ ।
अध्याय–4	–	राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध।
अध्याय–5	–	परिवार के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध ।
अध्याय–6	–	विद्यालय में राजनीति विज्ञान ।
अध्याय–7	–	गांव में राजनीति विज्ञान ।
अध्याय–8	–	बच्चों के अनुभव ।

अध्याय – 1

प्रस्तावना :

सामान्यतः राजनीति विज्ञान पठन–पाठन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, राजनीति विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत पढ़ाये जाते हैं। इसके साथ–साथ राजनीतिक विचारकों के विचार विभिन्न देश की शासन प्रणाली, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि बातें पढ़ी–पढ़ाई जाती रही है। छात्र–छात्राओं के लिए यह एक अरुचिकर विषय बन गया है। शिक्षक परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न–उत्तर छात्र–छात्राओं को पढ़ाने लगे हैं। छात्र भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न–उत्तर को जैसे–जैसे रटकर परीक्षा पास कर लेते हैं। कुछ शिक्षक राजनीति विज्ञान के कक्षानुसार निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ा भी देते हैं तो छात्र–छात्राओं को राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान तक ही उनका ज्ञान सीमित होकर रह जाता है। उनके अंदर राजनीति विज्ञान की समझ विकसित नहीं हो पाती है। वे राजनीति विज्ञान को अपने जीवन से जोड़कर नहीं देख पाते हैं। अतः राजनीति विज्ञान का महत्व व मूल्य से छात्र–छात्राएँ कोसों (काफी) दूर हो जाते हैं। आज आवश्यकता है राजनीति विज्ञान के महत्व व मूल्य को समझने की, क्योंकि इसका संबंध हमारे जीवन से है, हमारे परिवार से है, हमारे गाँव व नगर से है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, पलते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, जीवकोपार्जन हेतु कार्य करते हैं, इन सभी परिवेश का संबंध कहीं–न–कहीं राजनीति विज्ञान से है। इस मार्गदर्शिका के माध्यम से राजनीति विज्ञान की समझ विकसित करने हेतु एक छोटा–सा प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास कोई अंतिम नहीं है। यह इस दिशा में एक शुरुआत है। अगर हम छात्र–छात्राओं को राजनीति विज्ञान की उपयोगिता उनके अपने जीवन से जोड़कर

तथा उनको अपने परिवार से जोड़कर दिखा सकें तो उनमें राजनीति विज्ञान के प्रति मौलिकता का विकास होगा, राजनीति विज्ञान की समझ विकसित होगी। इस उददेश्य की पूर्ति के लिए हमें कुछ पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ सुझाव आगे दिये जा रहे हैं। छात्र–छात्राओं की उम्र को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों व तरीकों का उपयोग कर सकते हैं जिससे बच्चों की विषय से संबंधित समझ विकसित हो सके।

शिक्षक पहले इन सुझावों व तरीकों को अपने स्तर पर जांच लें, उसके बाद इन्हें बच्चों को समझाने का प्रयास करें। शिक्षक पहले अपनी समझ बनायें, फिर छात्र–छात्राओं को परिस्थिति अनुरूप पढ़ाते हुए समझ विकसित करने का प्रयास करें। इस मार्गदर्शिका में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जिसका संबंध शिक्षक के लिए विशेष रूप से है।

वर्तमान राजनीति विज्ञान को समझने के लिए विगत की समीक्षा मदद करती है और भविष्य की योजना बनाने में भी सहायता मिलती है। हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की पढ़ाई इसी उद्दे य से की जाती है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की समझ विकसित करता है तथा भविष्य की अच्छी व बेहतर योजना बनाने में भी हमारी मदद करता है। मेरा, मेरे परिवार का, मेरे गाँव या नगर का भी राजनीति व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध होता है, जिन संबंधों को जानकर हम अपना, अपने परिवार की राजनीति व्यवस्था के प्रति भागीदारी व निष्ठा स्थापित कर सकते हैं।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। दुनिया में हर क्षण, हर स्थिति में परिवर्तन तो होता ही रहता है, जो एक नयी स्थिति को जन्म देता है। परिवर्तन की एक गति होती है। परिवर्तन कई दिशाओं में अपनी एक स्वाभाविक गति से होता ही रहता है। परिवर्तन में गति व दिशा ये दो प्रमुख

बातें हैं। परिवर्तन विगत में भी हुआ है और वर्तमान में भी हो ही रहा है। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए विगत में हुए अनेक परिवर्तनों की गति और उन्नति की दिशाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं।

राजनीति विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति में परिवर्तन की गति को एक अच्छी व सकारात्मक दिशा मिलती है। परिवर्तन की गति को अच्छी दिशा का ही प्रतिपादन आज हमारे सामने राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र आदि राजनीतिक व्यवस्था से लोकतंत्र सबसे बेहतर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो चुका है। कई बार विगत में हुई कोई घटना इस परिवर्तन की स्वाभाविक गति और दिशा में बड़ा आकस्मिक परिवर्तन ला देती है, जिससे या तो परिवर्तन की दिशा बदल जाती है या गति में कमी बढ़ोत्तरी हो जाती है। जैसे लोकतंत्र के बाद पुनः राजतंत्र या सैनिक तंत्र स्थापित हो जाना। इस तरह का उदाहरण एशिया व अफ्रीका के नवोदित देशों में देखने को मिलता ही रहता है। वर्तमान में राजनीति विज्ञान में इन सब बातों का अध्ययन होता है, इसके बावजूद चूंकि इन मूलभूत बातों पर हमारा ध्यानाकर्षण नहीं करवाया जाता, इसलिए हम अपने आज के राजनीतिक व्यवस्था को अपने सामान्य जीवन से जोड़कर नहीं देख पाते। यदि हम आज के राजनीतिक व्यवस्था को अपने सामान्य जीवन से जोड़कर देखेंगे तो वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, वह वैसी क्यों है, इसे समझने में आसानी होगी। इसके अलावा यदि अपनी स्थिति में, भविष्य में हम कोई परिवर्तन लाना चाहते है। तो क्या करने से तथा कैसे करने से उसकी गति और दिशा में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है, इसकी समझ भी राजनीति विज्ञान से मिल सकती है।

अध्याय – 2

राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य

प्रजातंत्र के इस युग में पीछे पलटकर देखें तो पाएगें कि अनेक देशों ने समय व परिस्थिति अनुसार उन्नति अवनति, उत्थान–पतन, विकास–विनाश के कई दौर देखे है । हमारे देश को वर्तमान परिस्थिति में पहुँचने के लिए हम किस दौर से गुजरे है? हमने क्या खोया? क्या पाया? कुछ दशक पहले हम कहाँ थे? और अब कहाँ है? ये सारे प्रश्न विचारणीय है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले छांत्रों में इस तरह के प्रश्न मन में आना स्वाभाविक है। आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हमने प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को क्यों अपनाया। शासन व्यवस्था में कई बार विवादास्पद परिस्थितियाँ भी आ जाती है। हमें बच्चों को इस तरह के प्रश्नों से तथा उत्तरों से पूर्ण रूप से अवगत कराना होगा।

राजनीति विज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वस्थ्य सामाजिकता की सोच प्रदान करना है जिससे उनमें समाजोपयोगी आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास हो सके। देश की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए सजग एवं कियाशील नागरिकों की आवश्यकता होती है। और राजनीति शास्त्र विषय को पूर्ण उपयोगी व प्रभावशाली तभी बनाया जा सकता है जब उस विषय के शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट हों। राजनीति शास्त्र का उद्देश्य भावी पीढ़ी में सही दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। क्योंकि हम बच्चों को भावी कर्णधार के रूप में देखते है। आज देश में राजनीतिक चेतना दिन प्रति–दिन बढ़ती जा रही है। साधारण जनता भी अपने मत का मूल्य समझने लगी है।

विद्यार्थी जीवन में भी बच्चों में राजनीतिक समझ होने लगती है। यदि विद्यार्थीयों को जटिल समाज को तथा उसके विभिन्न अंगों, समुदायों परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों आदि को समझना है और उनमें, पूर्ण एवं उपयोगी विधि से समाज में जीवनयापन करना है तो राजनीति शास्त्र का अध्यापन अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। समाज की प्रगति के लिए विद्यार्थी जीवन में ही नागरिकता के गुणों का विकास करना होगा। बच्चों को देश और समाज की उन्नति का उद्देश्य लेकर आगे बढ़ना होगा।

प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था संविधान पर निर्भर है। हमारे देश का संविधान लिखित विस्तृत एवं व्याख्यापूर्ण है इस संविधान के आधार पर हमारी शासन व्यवस्था निर्भर है। सामाजिक दायित्वों के उद्देश्यों को पूरा करते हुए राजनीति विज्ञान के लक्ष्य निर्धारित किये जा सकते है।

उद्देश्य –

- उत्तम नागरिकता – राजीनीति विज्ञान विषय के अध्ययन में उत्तम नागरिकता प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रजातांत्रिक सरकार की सुरक्षा तथा सफलता के लिए नागरिकों की समझदारी तथा देश के प्रति लगाव आवश्यक होता है। अधिकारों का सदुपयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन ही शांति मय राज्य के लिए सहायक होते है ।

- राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना – बच्चे देश के भावी नागरिक होते है। अतः राष्ट्र के भीतरी हलचलों के प्रति सजगता उनमें बनी रहे यह

आवश्यक है। कक्षाओं में विभिन्न क्रिया कलापों जैसे समाचार पत्र पठन परिचर्चा के माध्यम से राजनीतिक चेतना बनाई जा सकती है।

- अंतराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना भी राजनीति शास्त्र विषय का लक्ष्य होता है। राजनीति शास्त्र ''जीओं और जीने दो'' का सिद्धांत सिखाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा आवागमन के साधनों ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। प्रत्येक टापू दूसरे टापू से व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए है। इसके द्वारा ही हम अपना विकास करते है। अतः छात्रों को स्वस्थ्य दृष्टिकोण के विकास की आवश्यकता होती है। हम बच्चों में गृहनीति, विदेश नीति पर चर्चा व गतिविधियां करवाकर एवं अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण निर्माण कर सकते है ।

- मानसिक शक्तियों का विकास करना – राजनीति विज्ञान तर्क से परिपूर्ण शास्त्र है। इसके अध्ययन से बच्चों में समालोचनात्मक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। इसमें सत्य–असत्य में भेद, तथा निर्णय क्षमता का विकास होता है साथ ही सत्यता को स्वीकारने का साहस भी आता है। और ऐसी शक्तियों से सावधान रहता है जो सब के लिए खतरा उत्पन्न करते हों।

- लोकतांत्रिक मुल्यों का विकास – राजनीति विज्ञान के अध्ययन के द्वारा छात्रों में सहनशीलता, सहयोग पारस्परिक विचार विमर्श करने का ढंग, स्वतंत्रता, समता तथा भातृत्व जैसे लोकतंत्रात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है।

- विभिन्न राष्ट्रों की शासन व्यवस्था की तुलना व मित्रता के संदर्भ में समीक्षात्मक कौशल का विकास करना।

- राष्ट्रीयता, समाज कल्याण व सह अस्तित्व के गुणों को अपनाने हेतु मार्ग प्रशस्त करना ।

अध्याय – 3

राजनीतिक व्यवस्था की समझ

हम बच्चों को विद्यालय में राजनीतिक व्यवस्था आज तक एक विषय के रूप में पढ़ाते है और इसके अंतर्गत अक्सर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, पंचायतीय व्यवस्था आदि पढ़ाते रहे है या फिर दो देशों के राजनीतिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों, विदेश नीतियों आदि को पढ़ाते रहें है। इससे अक्सर छात्र राजनीतिक व्यवस्था को अपने जीवन से जोड़ नहीं पाते, राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोजन वे समझ नहीं पाते हैं। राजनीति व्यवस्था क्या है, इसकी भी समझ ठीक से नहीं बन पाती। अगर अध्यापक को विषय का ज्ञान अच्छा है तो वह ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक व्यवस्था को एक अच्छी और रोचक कहानी के रूप में अध्येताओं के सामने रख देता है। कहानियों की अपनी उपयोगिता होती है, परन्तु राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाने का प्रयोजन इससे अलग है और ज्यादा व्यापक है।

अगर हम छात्रों को राजनीतिक व्यवस्था की उपयोगिता, उनकी अपनी जिन्दगी से राजनीतिक व्यवस्था के संबंध को जोड़कर दिखा सके तो में मौलिकता का विकास होगा । यही हमारा उद्देश्य है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें कुछ पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी । इसके लिए कुछ सुझाव नीचे दिये जा रहे है। छात्रों की उम्र को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई बातें समझाई जा सकती है ।

अध्यापकों से निवेदन है कि राजनीतिक व्यवस्था को सर्वप्रथम अपने स्तर पर अच्छी तरह समझ ले, उसके बाद इन्हें छात्रों को समझाने का प्रयास करें। पहले अपनी समझ बनाये, फिर छात्रों को परिस्थिति अनुरूप पढ़ाएं,

धीरे–धीरे आगे बढे। सर्वप्रथम छात्रों को यह समझाया जाए कि सभी अवस्थाओं में हर स्तर पर, हर स्थिति में कोई न कोई व्यवस्था रहती है। उनमें समय–समय पर परिवर्तन होते रहता है। एक व्यवस्था समाप्त होती है तो वहाँ दूसरी व्यवस्था बनती है ।

1. लघु उदेश्य – प्रकृति की सभी अवस्थाओं तथा हर स्थिति में कोई न कोई व्यवस्था होती है तथा उसमें बदलाव होते रहता है, इस बात की समझ पैदा करना। आज हमारे सामने जो राजनीतिक व्यवस्था जैसी भी है, विगत में हुए इन बदलावों की वजह से ही है।

अध्यापकों को बच्चों के सामने संदर्भ रखकर, इस बात को चर्चा द्वारा समझाने का प्रयास करना चाहिए कि प्रकृति में हर स्थिति में कोई न कोई व्यवस्था होती है, जिसमें बदलाव होता ही रहता है जैसे –

- मानव शरीर एक व्यवस्था है, इसमें बदलाव होता ही रहता है ।
- जानवरों का शरीर भी एक व्यवस्था है, इसमें बदलाव होता रहता है।
- पेड़–पौधों में भी व्यवस्था है, इसमें बदलाव होता रहता है ।
- हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि में भी व्यवस्था है, इसमें बदलाव होता रहता है ।

इस प्रकार हर स्थिति में एक व्यवस्था रहती है तथा उसमें निरंतर बदलाव होते ही रहते है। हालांकि इनकी गति कभी कम कभी तेज होती है।

बच्चें खुद ही सोचकर, चर्चा कर उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुँचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्यापक सिर्फ बीच–बीच में ध्यानाकर्षण करवाने का काम कर सकते है ।

इनके अलावा हम अन्य प्रकार के व्यवस्थाओं में बदलावों को भी देख सकते हैं।

- ◆ मौसम से संबंधित व्यवस्था तथा उसमें होने वाले बदलाव,
- ◆ हमारी आर्थिक स्थिति संबंधी व्यवस्था तथा उसमें होने वाले बदलाव,
- ◆ हमारे परिवार की व्यवस्था तथा उसमें बदलाव,
- ◆ हमारे संबंधों की व्यवस्था तथा उसमें होने वाले बदलाव (मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इत्यादि)

अध्यापक प्रश्न पूछकर या कभी कुछ उदाहरण देकर छात्रों का ध्यान हर क्षण चारों तरफ की व्यवस्था तथा उसमें होने वाले बदलावों की तरफ ले जा सकते है। कोशिश यह होनी चाहिए कि बच्चें ही खुद व्यवस्था तथा उसमें बदलावों को देखने लगें। जब वे बात को पकड़ लेंगे तो खुद ही उदाहरण से स्पष्ट करने लगेंगे।

इसी प्रकार पेड़ पौधों की व्यवस्था में बदलाव हो रहा होता है जिसका पता एक अन्तराल के बाद चलता है। उसी प्रकार हर क्षण मिट्टी, हवा, पानी, सूरज की गर्मी और रोशनी से कुछ न कुछ आदान प्रदान कर रहे होते है। इस प्रक्रिया के दौरान इन व्यवस्था में बदलाव होता ही रहता है।

इसी प्रकार हमारे घर, स्कूल के मकान, साजो–समान, किताब, पेन्सिल, कुर्सी, टेबल में भी बदलाव होते रहते है।

इस प्रकार अध्यापक तरह–तरह से छात्रों का ध्यानाकर्षण इस बात पर करा सकते है कि हर वस्तु में एक व्यवस्था होती है, उन व्यवस्थाओं में हर अवस्था (पदार्थावस्था यानी हवा, मिट्टी, धातु, पानी, इत्यादि, प्राणावस्था यानी पेड़–पौधें, जीवावस्था यानी पशु–पक्षी और ज्ञानावस्था यानी मनुष्य) में हर

क्षण, बदलाव होता ही रहता है – चाहे वह बदलाव कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो ।

इस बात को समझाते वक्त अलग–अलग तरह की व्यवस्था तथा उसमें बदलावों की सूची बनाई जा सकती है। किसी खास व्यवस्था तथा उसमें होने वाले बदलाव के बारे में छात्रों को सोचने को दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान मौखिक एवं लिखित गतिविधियाँ करवाई जा सकती है। छात्रों की छोटी–छोटी टोलियाँ बनाकर सामूहिक गतिविधियाँ भी करवाई जा सकती है। यह सब अध्यापक की अपनी इच्छा, समय की उपलब्धता, छात्रों की संख्या एवं उनकी उम्र को ध्यान मे रखकर करवाया जा सकता है।

परन्तु मुख्य उद्देश्य की पूर्ति तब होगी जब बच्चों को यह समझ आ जाये कि चारों तरफ, हर दिखाई देने वाली वस्तु में, हर स्थिति में व्यवस्था होती है तथा उसमें कई प्रकार के बंदलाव हर क्षण हो ही रहें है ।

आगे चलकर इन व्यवस्था तथा उसमें बदलाव का संबंध हम राजनीतिक व्यवस्था में बैठा पायेंगे। पहले बच्चों को यह समझ आ जाये कि हर जड़–चेतन में हर अवस्था में हर स्थिति में व्यवस्था पायी जाती है तथा उसमें बदलाव होता ही रहता है।

संक्षेप में

- समस्त प्रकृति की इकाईयों में यानी सृष्टि की चारो अवस्थाओं में व्यवस्था पायी जाती है तथा उसमें हर क्षण बदलाव होने ही रहते है।
- व्यवस्था इकाईयों या उप इकाईयों का सेट (समुह) है। जो एक दूसरे से प्रभावित होते है तथा प्रभावित करते है।
- हर व्यवस्था में हर स्थिति में परिवर्तन होता ही रहता है।
- इन परिवर्तनों के कारण ही आज हम जहाँ है, जैसे भी हैं इस व्यवस्था तक पहुंचे है।

---

2. लघु उद्‌देश्य – इस बात की समझ पैदा करना कि हम जो भी वर्तमान व्यवस्था देखते है, उसका संबंध विगत से भी होता है। अपने अतीत की राजनीतिक व्यवस्था की समझ की समीक्षा करके वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था की समझ बनती है और वर्तमान को समझ कर भविष्य की योजना बनायी जा सकती है।

(क) हर सोचने वाला व्यक्ति स्वयं को समझना चाहता है। बच्चों से सवाल पूछा जा सकता हैं कि "क्या वे स्वयं को समझना चाहते है? हमें कोई भी वस्तु क्यों अच्छी लगती है? क्यों बुरी लगती है? इसका संबंध भी हमारे विगत से होता है।

चाहे वह खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो या अन्य किसी उपयोग की चीज हो सभी लोंगों की पसन्द एक जैसी नहीं होती। किसी को कुछ पसन्द होता है तो किसी को कुछ। ऐसा क्यों होता है? बच्चों को इन बातों पर सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अगर हम ठीक से चर्चा को आगे बढ़ाये तो इससे बच्चें निम्नलिखित निष्कर्षो पर पहुँचेंगे –

हमारी सबकी अपनी–अपनी पसन्द, नापसन्द होती है, हमें कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती। प्रत्येक की पसन्द, नापसन्द अलग–अलग हो सकती है।

(ख) फिर बातचीत को उस तरफ मोड़ा जा सकता है कि हम जो कुछ भी आज सोचते है, पसन्द–नापसंद करते है, व्यवहार करते है, काम को एक खास तरीके से करते है (उठने, बैठने का तरीका, खान–पान का तरीका इत्यादि) उसका संबंध हमारे अतीत की व्यवस्था से भी होता है। जैसे हम जो खाना खा–पीकर बड़े हुए उसी से हमारी पसन्द, नापसन्द निर्धारित होती है। कोई नया स्वाद हमें भुख में पसन्द नहीं आता। हमें धीरे–धीरे इन सबकी आदत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार कोई नयी व्यवस्था हमें भुख में पसन्द नहीं आती। हमें धीरे–धीरे इन सबकी आदत पड़ती है।

जैसी व्यवस्था में तथा जैसे वातावरण (घर–परिवार, आस–पड़ोस, गॉव–शहर, समाज) में हम बड़े होते है और जैसा खान–पान, उठना–बैठना, व्यवहार वहॉ होता है, उन सबसे हम धीरे–धीरे प्रभावित होते रहते है। इससे हमारी आज की पसन्द– नापसंद प्रभावित होती है। व्यवस्था पर भी हमारी पसन्द–नापसन्द का प्रभाव पड़ता है। एक ही स्थिति का अलग–अलग प्रभाव पड़ सकता है। जैसे एक ही परिवार के दो भाईयों या बहनों पर घर–परिवार का अलग–अलग प्रभाव हो सकता है।

संक्षेप में

- किसी व्यवस्था का पसंद नापसंद हमारे अतीत से होता है।
- कोई नयी व्यवस्था हमें भुख में पसन्द नहीं आती। हमें धीरे–धीरे इन सबकी आदत पड़ती है।
- किसी व्यवस्था का संबंध वहाँ के वातावरण से रहता है। इससे हमारी आज की पसन्द नापसंद प्रभावित होती है तथा हमारी पसन्द नापसन्द का प्रभाव व्यवस्था पर भी पड़ता है।

(ग) जैसे व्यक्ति की अपनी पसन्द–नापसन्द, काम करने के तरीके आदि होते है, ठीक उसी तरह अलग–अलग व्यवस्थायें समाजों में भी होते है। हर व्यवस्था या समाज के लागों में कुछ समानतायें होती है, जिससे उस व्यवस्था की पहचान बनती है। एक व्यवस्था के लोग एक प्रकार का खान–पान करते है, पहनावा पहनते है, खास प्रकार के मकानों में रहते है, खास प्रकार के काम–धन्धें या खेती–पशुपालन के तरीके अपनाते हैं, बोली–भाषा बोलते है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उनके अपने ढंग होते है, नाच–गाने मनोरंजन एवं न्याय के भी अपने तरीके होते हैं, राजनीतिक व्यवहार के भी अपने तरीके होते है। जो उसे अन्य व्यवस्थओं से अलग पहचान देते है। इनमे भी अतीत में बदलाव होते ही रहा है और धीरे–धीरे हमें जो वर्तमान में दिखाई देता है, वहाँ तक पहुँचे हैं।

हम वर्तमान को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी व्यवस्था में बहुत सारे लोग बहुत सारे कौशल (खाना बनाना, कपड़े बुनना, खेती करना, उपचार

करना, राजनीति करना इत्यादि) जानते हैं। ये ज्ञान उन्हें अतीत में अपने पूर्वजों से, परम्परा से मिला है। इस ज्ञान और कौशल में भी लगातार बदलाव होता रहा है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे प्रयोग किये होंगे। उनमें से कुछ सफल, कुछ असफल हुए होंगे। राजनीति में भी ऐसे प्रयोग किये होंगे। इन सब प्रयोगों से वे लगातार सीखते गये होंगे, अपनी समझ बढ़ाते गये होंगे। इसी क्रम में वे आज जहाँ हैं, वहाँ पहुँचें होंगे ।

इस प्रकार आज की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिये हमें अतीत को समझना जरूरी होता है। पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था की समीक्षा करके अपने वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं तथा भविष्य की अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की योजना बनाते है।

संक्षेप में

- समाज एक सम्पूर्ण व्यवस्था है । इसके अंतर्गत कई उप व्यवस्था है – जैसे आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था, ऐतिहासिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि। समाजशास्त्री लाटकोट बारसन्स)
- राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उप व्यवस्था है, लेकिन यह अपने–आप में एक व्यवस्था है। (डेविड इस्टन – राजनैतिक वैज्ञानिक)

उदाहरण – जैसे कि आज भारत के संविधान, सरकार के अंग, न्याय पालिका के कार्य प्रणाली, जिलाधीश के कार्य प्रणाली आदि जो मोटे तौर पर हमारी राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलती है, अगर हम इसे समझने जायेंगे तो पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था हमारी मदद कर सकता है। इस बात का सीधा संबंध भारत वर्ष में लगभग 200 वर्षो (1757–1947) तक अंग्रेजों के राज से रहा है। जिन देशों में अंग्रेजों की जगह फ्रांसिसियों ने या डच के लागों ने राज किया, वहाँ पर फ्रांसिसी और डच जैसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई। भारत के संविधान में, सरकार के अंग, न्याय पालिका के कार्य प्रणाली, जिलाधीश के कार्यप्रणाली व तौर तरीकों पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के शासन काल की छाप दिखाई देती है।

अतीत को समझने में हममें इस बात की समझ भी बन जाती है कि हम किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करते है। इससे भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है।

जैसे – जब हम भारत वर्ष के अतीत को देखते है तो पातें है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग–अलग भौगोलिक नदी–घाटियों की संस्कृतियाँ रहीं है। महाभारत के जमाने में भी करीब 100 अलग–अलग राजाओं ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया। ये राजा अलग–अलग आंचलिक संस्कृतियो का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे अंचल एक स्वायत्त राज्य थे, फिर भी किसी न किसी प्रकार से कुरू वंश से जुड़े भी थे। कुरू राज्य को अगर एक केन्द्र माने भी तो वह आज की केन्द्रीयकृत व्यवस्था से अलग दिखती है। इससे यह समझ बनती है कि केन्द्रित व्यवस्था का आज का स्वरूप भारत और विश्वभर में दिखाई देता है, उससे अलग भी काई कल्पना हो सकती है।

3. लघु उद्देश्य – राजनीतिक व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। राजनीतिक व्यवस्था को अलग–अलग दृष्टिकोंण से देखा–समझा जा सकता है। सही समझ के लिये अधिक से अधिक दृष्टिकोण का अध्ययन होना चाहिये और फिर स्वयं के विवेक का उपयोग करना चाहिए।

भारत में आजादी के बाद से लेकर आज तक राजनीतिक विज्ञान विद्वानों में एक बड़ी बहस छिड़ी रही कि भारत में संसदीय व्यवस्था की जगह अध्यक्षीय व्यवस्था अपनायी जानी चाहिये। इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में बहस श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों में चली/चलती रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि समय–समय पर राजनीतिक व्यवस्था को लेकर तरह–तरह की बहसें चला करती है। प्रायः लोग अपने उद्देश्य और अपनी दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था को लिखते है तथा व्याख्या करते है। किस कालखण्ड में राजनीतिक व्यवस्था लिखा या व्याख्या किया जा रहा है, इससे भी राजनीतिक व्यवस्था लेखन प्रभावित होता है। जैसे मनु, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु, मेकियावेली, रूसो, कार्लमार्क्स, महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण आदि के राजनीतिक व्यवस्था संबंधी विचारों में उस समय की वातावरण, परिस्थिति, घटना का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। एक ही घटना, प्रक्रिया अलग–अलग तरह से देखी या समझी जा सकती है। जैसे – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के समय की घटना उग्रवादी, उदारवादी क्रांतिकारियों ने अलग–अलग तरह देखा व अपना दृष्टिकोंण प्रस्तुत किया। इस प्रकार एक ही घटना प्रकिया अलग–अलग तरह देखी या समझी जा सकती है। हमारा प्रयोजन ही हमारे नजरिये को तय करता है या यह भी होता है कि हमारी दृष्टि ही प्रयोजन को तय करती है।

इन बातों को बहुत ही सरल ढंग से बच्चों को समझाया जा सकता हैं। एक ही स्कूल के, एक ही कक्षा के छात्रों से स्कूल की व्यवस्था, कक्षा की व्यवस्था कैसी है, इस पर अपना–अपना विचार लिखने कहा जावें। ठीक उसी प्रकार स्कूल में सम्पन्न छात्र संघ चुनाव की घटना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आदि के बारे में स्वतंत्र रूप से लिखने दिया जावें। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति, अवलोकन करने की शक्ति तथा लिखने और अभिव्यक्त करने की योग्यता भी विकसित होगी।

जब सभी बच्चें अपनी बात लिख लें तो उनकों अपने–अपने लिखें को बारी–बारी से कक्षा में जोर से पढ़ने को कहा जा सकता है। सभी बच्चें जब अपनी बात को पढ़ लें तो अध्यापक इस बात पर ध्यानाकर्षण करवा सकते है कि एक ही घटना का विवरण एक दूसरे से कितना भिन्न है।

इससे यह निष्कर्ष अपने आप निकल जायेगा कि एक ही घटना या प्रकिया को हम अलग–अलग ढंग से देख सकते है। इसी कारण एक ही राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में लोंगों के अलग–अलग दृष्टिकोण होते है।

दूसरी बात यह है कि एक ही घटना के विवरण एक–दूसरे से अलग होते हुए भी सभी सच्चे है।

तीसरी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, घटना, प्रकिया को समझने के लिए एक ही विवरण (दृष्टिकोण) पूर्ण नहीं होता।

अध्याय – 4

राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध :

किसी भी विषय का अन्य विषयों से अन्योन्याश्रित संबंध होता है, अतः किसी विषय का अध्ययन तब तक अपूर्ण है जब तक शिक्षक उस विषय का अन्य विषयों से अंर्तसंबंध स्थापित न करें। राजनीति शास्त्र को भी अन्य विषयों से जोड़ा जाना होगा। कुछ विषयों के उदाहरण से इसकी आवश्यकता को समझा जा सकता है –

1. इतिहास :

किस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई, किस तरह राजतंत्र की स्थापना हुई और राजतंत्र से अन्य शासन व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, यह अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे आया, इस तरह की बातों को जानने व समझने के लिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। वर्तमान की अनेक ऐसी समस्याएं है जो प्रत्यक्ष रूप से अतीत की देन है जैसे जातिवाद व हिन्दू–मुस्लिम समस्या, क्षेत्रीयतावाद, सीमा विवाद आदि। हम इन्हें आज भी नहीं सुलझा सकें है। इतिहास के अध्ययन से इनके बारे में जानने में मदद मिलेगी।

2. भूगोल :

राज्य का अपना निश्चित भू–भाग होता है तथा उसकी प्राकृतिक सीमाएं होती हैं जैसे भारत एक राज्य है इसकी स्थिति, भौगोलिक सीमाएं, इसमे सम्मिलित विभिन्न राज्यों की स्थिति के संबंध में जब तक जानकारी नहीं होगी, राजनीति शास्त्र का अध्ययन अधूरा है।

3. अर्थशास्त्र :

लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने सभी नागरिकों का कल्याण करना है। एक कल्याणकारी राज्य का कार्य अपने नागरिकों को न सिर्फ सामाजिक व राजनैतिक सुरक्षा वरन् आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करना है। अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक नीतियों से ''समानता'' जैसी अवधारणा का गहरा संबंध है। नेहरू जी के एक कथन का उदाहरण दिया जाना यहाँ युक्तिसगंत होगा – ''एक भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई मूल्य नहीं है'', यहाँ आर्थिक सुरक्षा की ओर संकेत है तभी हम उस नागरिक से मूल कर्तव्य की अपेक्षा कर सकते है।

4. विज्ञान :

स्वतंत्रता के बाद हमने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का इसमें कितना योगदान रहा है इसे वि व के उन दे२ों के विकास के संबंध में जहाँ अन्य विभिन्न शासन प्रणालियाँ है, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से समझा जा सकता है। वन्य प्राणियों व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम एवं संसद व विधानसभा में इन पर होने वाली चर्चाएँ आदि अन्य उदाहरण है।

5. भाषा :

संविधान में सम्मिलित भाषा, बोलियाँ एवं इनसे संबंधित अधिनियम, भाषाई आधार पर स्थापित राज्य इस तरह के विषय हो सकते हैं। हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं हो पाने के कारण भी राजनीति शास्त्र में खोजे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम का भी यहाँ

जिक्र किया जाना उचित होगा जिसके पारित होने के बाद पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्यवस्तु रखे जाने की ओर कार्य प्रारंभ हुआ।

इस तरह विभिन्न विषयों के साथ राजनीति शास्त्र का अंर्तसंबंध न सिर्फ एक विस्तृत समझ उत्पन्न करेगा बल्कि विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण के लिए एक बेहतर दिशा मिलेगी।

अध्याय – 5

परिवार से राजनीतिक व्यवस्था का संबंध

सामान्य उद्देश्य :

1. पारिवारिक व्यवस्था के प्रति समझ उत्पन्न करना ।
2. पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बीच तुलनात्मक ज्ञान का विकास करना।
3. इस व्यवस्था के परिपालन की आवश्यकता का बोध कराना ।
4. परिवार एवं समाज का राजनीतिक व्यवस्था के साथ संबंध के बारे में समझ स्थापित करना ।

पारिवारिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की प्रथम इकाई है। प्रत्येक परिवार समाज का महत्वपूर्ण अंग है। अत्यंत प्राचीन समय में कबीले परिवारों का समूह हुआ करते थे। यदि हम आज के समाज में परिवार को देखें तो इसके स्वरूप में बहुत परिवर्तन आया है। इसके आर्थिक कारण तो हैं ही, किन्तु राजनीतिक व्यवस्था ने भी हमारे परिवार के स्वरूप में बदलाव लाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई है। यद्यपि पारिवारिक ढांचे में बदलाव लाना राजनीति का लक्ष्य नहीं रहा है किन्तु राजनीतिज्ञों द्वारा बनाए गए नियम, कानून के परिणाम स्वरूप परिवार की स्थिति में परिवर्तन आया है।

प्राचीन समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। इस व्यवस्था के अपने फायदे भी थे और नुकसान भी। प्राचीन समय में परिवार के मुखिया का सर्वोच्च स्थान हुआ करता था और उनके द्वारा कहे गए वाक्य ही उस परिवार के लिए कानून का रूप होते थे। एक तरफ इस व्यवस्था ने परिवार के सदस्यों को एकता के सूत्र में पिरोए रखने में, घर परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद की तो दूसरी तरफ घर के भीतर ही असंतोष, कलह, आदि भी पैदा होते रहे। जिन घरों के मुखिया में समानता सहित विवेक पूर्ण निर्णय देने की क्षमता थी वे इस तरह की परिस्थितियों में उपजी समस्याओं का निराकरण बुद्धिमत्ता पूर्वक करने में सफल हुए। किन्तु समाज के प्रत्येक परिवार के मुखिया में इस तरह के मानवीय गुण हों ऐसा संभव नहीं है। यह असंतोष ही परिवार

के विघटन का प्रमुख कारण बना। कालांतर में सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या के विस्फोट व अन्य कारणों के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन होकर एकल परिवारों का उदय होने लगा।

परिवार एक राजनीतिक इकाई के रूप में – पारिवार राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जा सकता है क्योंकि कोई भी परिवार अपने रीति–रिवाजों, परम्पराओं का अक्षरशः पालन सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की तरह करती है। यदि परिवार का कोई भी सदस्य इन रीति–रिवाजो, परम्पराओं, नियमों की अवहेलना करता है तो वह न केवल उपहास का पात्र बनता है बल्कि उसे विभिन्न प्रकार के रोक, दण्ड आदि का प्रावधान भी परिवार में रहकर नियमों परम्पराओं, रीति–रिवाजों का पालन करना सीख जाता है। ऐसे में यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि परिवार एक राजनीतिक इकाई है जहां पर लोग अपने परिवार के नियमों, परम्पराओं, कानूनों में बंधे रहते है तथा परिवार के नियमों का पालन उतनी ही संजीदगी के साथ करते है जितना वे बड़ा होकर अपने देश के संविधान का करते है।

परिवार के मुखिया के कार्य एवं उत्तरदायित्व – किसी भी भारतीय समाज के परिवार में मुख्यिा का सर्वोच्च स्थान होता है । यह स्थिति प्राचीन समय में भी थी और अब भी है। यद्यपि बदलते समय के साथ कई परिवारों में अब मुखिया की भूमिका परामर्शदाता के रूप में होने लगी है। लेकिन अधिकांश परिवारों में मुखिया की भूमिका आज भी सर्वोच्च है। परिवार के मुखिया होने के नाते उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योकि उसके द्वारा दिए गए निर्णय परिवार को संगठित एवं विघटित कर सकते है इसलिए परिवार के मुखिया को पारिवारिक व्यवस्था बनाते समय अत्यंत चतुराई के साथ काम करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखकर सुप्रसिद्ध कवि तुलसी दास ने रामचरित मानस में मुखिया के संदर्भ में लिखा है "मुखिया मुख सो चाहिए, खान–पान को एक, पालै पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक"।

किसी परिवार का मुखिया होने के नाते उसके उत्तरदायित्वों में निम्नांकित बाते समाहित होती है।

- परिवार के सदस्यों को समुचित संरक्षण देना।
- परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त भोजन, आवास की व्यवस्था करना।
- परिवार के प्रत्येक सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता करना।
- परिवार के मुखिया के रूप में वित्तीय आय–व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखना।
- समाज में अपने परिवार की भूमिका को सम्मानजनक बनाए रखने में अपनी अहम् भूमिका का निर्वहन करना।
- परिवार के प्रबंधक एवं प्रशासक की भूमिका का निर्वहन करना।
- परिवार के हित से जुड़े हुए निर्णय लेना।

परिवार सरकार की इकाई के रूप में – इन उत्तरदायित्वों का पालन वह उसी प्रकार करता है. जैसे सरका का कोई मुखिया, प्रशासक, अधिकारी अपने कार्यो अधिकारों का निर्वहन करता है। इसे अनेक उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है, जैसे – एक परिवार में कुल 6 भाई, 5 बहिन एवं माता पिता रहते है, इस प्रकार से उस परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 13 हो गई। मुखिया ही यह तय करता है कि उनमें से कितने सदस्य खेतों में काम करने जायेंगे, कौन सा सदस्य समाज में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होगा, कौन सा व्यक्ति बाजार जाकर घरेलू सामानों को क्रय करेगा, आदि। यह सब काम बड़े ही सुचारू रूप से संचालित होते रहते हैं। संयुक्त परिवार का मुखिया अपने कामों को संपादित करते समय वह पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके के इस्तेमाल करता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व वह परिवार के सभी सदस्यों से विचार विमर्श कर उसमें से कोई उपयोगी अथवा उचित निर्णय लेता है। यह प्रकिया भी बिलकुल वैसी ही होती है जैसे संसद में काम करते समय सबकी बातों को विशेष ध्यान, वैचारिक स्वतंत्रता के पूरे अवसर देना, आदि काम होता है। मुखिया अपने विवेक पूर्ण निर्णयों से सबकों उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप काम सौंप देता हैं। घर के

मुखिया की बातों, आदेशों/निर्देशों की अवहेलना को घर के बड़े सदस्य बहुत ही गंभीरता के साथ लेते है तथा इस प्रकार का काम करने वाले सदस्य को समझाईश के साथ–साथ परिवार के भीतर ही अनेक प्रकार की बातों, का सामना करना पड़ता है, यह वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से परिवार की राजनीतिक व्यवस्था का ही हिस्सा है। इन सब बातों के फलस्वरूप सारा परिवार एकता के सूत्र में पिरोए हुए काम करता रहता है। हमारी इस व्यवस्था को राजनीति व्यवस्था के साथ समझ स्थापित कर जोड़े जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर बालक बचपन से ही मुखिया के उत्तरदायित्व, कानून, नियमों के परिपालन का महत्व सीख जाता है। सरकार किस प्रकार से काम करती है उसे घर की इस व्यवस्था का सरल उदाहरण देकर आसानी से समझाया जा सकता है।

एक ही रसोई में भोजन – प्राचीन समय के संयुक्त परिवार और नए समय के एकल परिवार दोनों में भोजन के समय का बड़ा ही महत्व है। प्राचीन समय में संयुक्त परिवारों का भोजन एक साथ बनता था। दिन भर के परिश्रम से थके हुए लोग आपस में एक समय में एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते थे, इसी समय घर के सुस्वादु भोजन के बीच घर/परिवार के भीतर की छोटी–मोटी समस्याओं का निराकरण बहुत ही आसानी के साथ हो जाता था। घर की समस्याओं के निराकरण में मुखिया की भूमिका किसी निर्णायक से कम नहीं हुआ करती थी। मुखिया द्वारा घर के अन्य सदस्यों की प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि घर की एकता को बढ़ाने में सहायक होता था। इसी समय बातों ही बातों में अपने परिवार/घर के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में विकास की योजनाएं बड़ी आसानी से बन जाती थी। इस तरह से एक पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक सभ्य समाज प्राप्त होता था। इन बातों से हम सहज में यह सीख सकते हैं कि भोजन का स्थल भी परिवार चलाने की नीति सीखने का एक बढ़िया साधन होता है। आज जिन बातों का अभाव है उसे परिवार में महत्व कैसे प्रदान करें यह बात बच्चों को सीखाया जा सकता है।

एकल परिवार और राजनीति – एकल परिवारों के उदय ने अनेक पारम्परिक, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ा है। इसका एक कारण तो नए रोजगारों का अभ्युदय है, तो दूसरा कारण नए स्थानों में जाकर शिक्षा प्राप्ति भी है। कहीं–कहीं पर वैचारिक स्वतंत्रता, नारियों की शिक्षा, विदेशी भाषा, संस्कृति का अंधानुकरण भी एकल परिवारों के उदय का कारण बनी। इसके फलस्वरूप एक परिवारों में भातृत्व प्रेम, सद्भावना, एकता, सामाजिक रीतियों परम्पराओं का पालन, बड़ो–बुजुर्गों का सम्मान जैसी भावना का अभाव होने लगा। एकल परिवार में लिए गए निर्णय कभी उचित होते है तो कभी अनुचित भी। तुलनात्मक रूप में देखें तो कह सकते है कि एकल परिवार किसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था का स्वरूप है, जहां पर उसके विचारों को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है, दूसरे शब्दों में पारिवारिक व्यवस्था में वह तानाशाही सरकार की व्यवस्था का उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

नैतिक व मानवीय गुणों के विकास में परिवार की भूमिका – परिवार में रहकर पालकों/परिवार के सदस्यों में नागरिक गुणों का विकास सहजता के साथ होने लगता है। आपस में प्रेम, मर्यादा, सामंजस्य, बडों का सम्मान व इसी तरह के अन्य मानवीय गुण व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा कब बन जाते है उसका पता ही नहीं लगता। इस तरह से यह भी कहा जा सकता है कि परिवार के भीतर छोटी–छोटी बातें रोज होते रहती है वस्तुतः वह दिनचर्या का ही एक हिस्सा होती है पर उसके माध्यम से बच्चे अपने अधिकारों की रक्षा करना, समानता प्राप्त करना, अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करना आदि सीखते रहते है। आगे चलकर उसके ये ही गुण उसके राजनीतिज्ञ बनने पर बड़े ही फायदे के होते है। उदाहरणार्थ – परिवार में दो भाई, एक बहिन एवं माता पिता रहते है, दीपावली के अवसर पर पिताजी ने एक भाई एवं एक बहिन के लिए नए कपड़े खरीदे, उसने सोचा कि एक लड़का छोटा है, उसके पास बहुत सारे कपड़े भी है, यदि उसके लिए कपड़े न भी खरीदे तो काम चल जाएगा। घर आने पर उन्होने ये कपड़े एक भाई एवं एक बहिन, जिनके लिए यह खरीदा गया था, दे दिया। अपने बड़े भाई एवं बहिन को नया कपड़ा पहने हुए देखकर छोटा बच्चा भी नए कपड़े पाने के

लिए जिद करने लगा। वस्तुतः उसका यह व्यवहार छोटे बच्चे की जिद तो है ही किन्तु वास्तव में यह परिवार में समानता प्राप्ति का संकेत है। ऐसे अनेक उदाहरण दैनिक जीवन में आते रहते है । लैगिक समानता, सामंजस्य करना आदि गुण बच्चा परिवार में रहकर ही सीखता है ।

परिवार अवांछित गुणों को रोकता भी है। परिवार के बीच रहकर कोई भी बच्चा या बड़ा व्यक्ति वह व्यवहार नहीं कर पाता जो कि वह अकेले रहने पर कर लेता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि परिवार नागरिक गुणों के विकास की प्रथम पाठशाला है। यहां पर रहकर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में व्यक्ति सहज रूप में नागरिक गुणों को सीख लेता है जिसके फलस्वरूप वह कुशल राजनीतिज्ञ बननें के गुण भी हासिल कर लेता है। बातों बातों में वह दादा, दादी, चाचा, चाची, बड़े भैया, भाभी व अन्य रिश्तेदारों के बीच चलने वाली स्वार्थपूर्ण राजनीति, पैतरेबाजी आदि भी देखते रहता है और राजनीति के गुण उसमें स्वमेव विकसित होने लगते है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि पारिवारिक व्यवस्था के बीच उभरने वाले इन गुणो/अवगुणों में से कितनी चीजों को आगे बढ़ाया जाए तथा किन बातों को रोका जाए यह हमारे द्वारा सीखाए जाने वाले गुण राजनीति/नागरिक शास्त्र विशय के महत्वपूर्ण अंश होना चाहिए। अर्थात विषय शिक्षण के दौरान शिक्षक को इन बातों की ओर सचेत रहना होगा कि वह भावी नागरिक निर्माण करते समय उनमें किन–किन गुणों का विकास करना चाहता है। तभी उसके द्वारा राजनीति का ज्ञान दिया जाना सार्थक प्रतीत होगा।

इस प्रकार से अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमें विद्यार्थियों में राजनीति की समझ विकसित करनी होगी।

अध्याय–6

विद्यालय का राजनीति विज्ञान

लघु उद्देश्य

1. चुनाव प्रक्रिया की समझ विकसित करना।
2. चुनाव में मतदान करने की रूचि विकसित करना।
3. आदर्श नागरिक के रूप में समझ विकसित करना।
4. कर्तव्य निष्ठता के लिए प्रेरित करना।

आज संदीप की भाला में कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव है और सभी बच्चे उत्साहित हैं कि चुनाव कैसे होगा? कक्षा शिक्षक के कक्षा में पहुंचते ही बच्चों ने शिक्षक से पूछा कि हम चुनाव क्यों कर रहे हैं? शिक्षक ने बताया कि कक्षा प्रतिनिधि चुनने के बाद सभी प्रतिनिधि मिलकर एक छात्र संघ का निर्माण करेंगे और ये संघ अपनी भाला के संचालन में सहयोग करेगा।

मतदान के दिन छात्र प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन पत्र भरा था, छात्रों से मिलकर अपने लिए वोट मांगते दिखाई दिए। मतदान के दिन एक कक्ष में मतपेटी रखी गई। एक कार्टून को छेद करके मतपेटी बनाई गई। उसे एक कोने में रख गया। प्रत्याि यों की सूची टाइप करके टिक लगाने के लिए दिया गया। बच्चों ने अपने मत के अनुसार टिक लगाकर मतपेटी के छेद में डाला। इस तरह मतदान सम्पन्न हुआ। शिक्षकों ने कुछ बच्चे जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि थे उनके सामने मतों की गिनती करके विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की। इस तरह संदीप के विद्यालय में चुनाव सम्पन्न हुआ।

दूसरे दिन प्रार्थना सभा में प्राचार्य के समक्ष छात्र संघ ने शपथ ग्रहण किया। छात्र संघ के प्रभारी शिक्षक ने विद्यालय के सभी कार्यों के लिए समिति बना दी तथा भालेय कार्यक्रमों के अनुसार काम बांट दिया। इस तरह बच्चों ने चुनाव प्रक्रिया जाना तथा भाला का प्रशासन भी जाना।

प्रत्येक विद्यालय की स्थिति भौतिक संसाधन, छात्रों का स्तर तथा उपलब्ध सुविधाएं अलग–अलग होती हैं। इन सुविधाओं के अनुसार कार्यक्रम तथा कार्ययोजनाएं

भी अलग–अलग होती हैं। इन्हीं योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए शिक्षकं के मार्गदर्शन में कार्य करवाए जा सकते हैं। जैसे – शालेय भ्रमण, अवलोकन, भालेय उत्सव, परिसर तथा कक्षा की साफ–सफाई और सजावट आदि के लिए बच्चों से प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा काम सौंपकर उन्हें अपने कर्त्तव्य तथा अधिकारों की जानकारी दी जा सकती है। उदाहरण– 15 अगस्त तथा 26 जनवरी के दिन हम स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए पूर्व तैयारी कराई जाती है जैसे झंडारोहण तथा महापुरुषों की तस्वीरों में माला पहनाना, सजावट करना, शिक्षकों व अतिथियों के उद्‌बोधन से बच्चों को पूर्व राजनैतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है ।

महापुरुषों की जयंतियाँ तथा विभिन्न समारोह भी राजनैतिक समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। इन कार्यक्रमों से बच्चों में देश काल को जानने का अवसर प्राप्त होता है। इन अवसरों पर हम बच्चों में चर्चाएं, वाद–विवाद, परिसंवाद, सम्मेलन आदि का आयोजन करके उनमें समायोजन तथा प्रशासनिक क्षमता ला सकते हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी बच्चों में देते हैं तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना आती है तथा विद्यालय से प्रेम भी बढ़ता है। विद्यालय में घटित कोई घटना का प्रभाव भी बालकों के जीवन पर पड़ता है। जिस तरह परिवार में दुःख–सुख के अनुभव सब मिलकर बांटते हैं ठीक इसी तरह विद्यालय की घटनाओं में भी बच्चों की सहभागिता हो सकती है। इसी तरह विद्यालय में नए बच्चों का आना, किसी का स्थानांतरण होना इन बातों की भी प्रतिक्रिया बच्चे व्यक्त करते हैं। इन बातों से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्यालय की गतिविधियों के आधार पर राजनीति विज्ञान के भी गतिविधियों की समझ बनती है जिसे बच्चे जाने–अनजाने ही सीखते जाते हैं। कई बार विषयों के उदाहरण हमें व्यवहार में भी दिखाई देते हैं इन्हें भी लेकर सिखाया जा सकता है।

एक शिक्षक का अनुभव – सत्र के प्रारंभ में जब मुझे अपना विषयानुगत कालखण्ड मिला तब मैं अपना कालखण्ड समयानुसार अपने विषय पढ़ाती रही। लगातार मैं दिनों–दिन विषय पढ़ाती रही। बच्चों ने भी पहले दिन रूचि लेकर विषय का अध्ययन

किया लेकिन लगातार एक ही भौली से पढ़ाने के कारण अब बच्चों ने राजनीति विज्ञान के प्रति रूचि लेना कम कर दिया। यह स्वाभाविक भी है। हम बड़े लोग तो एक ही गति से क्रिया करने पर ऊब जाते हैं फिर तो स्कूल के छात्र छोटे ही होते हैं तो उनका बोर होना स्वाभाविक ही था। लेकिन जो छात्र होशियार हैं या जिनका पहले से ही लक्ष्य होता है कि हमको अच्छे नंबरों से पास होना है तो ऐसे बच्चे तो रूचि लेकर ही पढ़ते दिखाई देते हैं। लेकिन हम शिक्षकों का दायित्व होता है कि छात्र–छात्राओं के क्षमताओं के अनुरूप अध्यापन कार्य करें जिससे सभी बच्चे ज्यादा–से–ज्यादा विषय के प्रति जागरूकता दिखाये व उसमें रूचि लेकर अध्ययन करें। इससे हम शिक्षकों को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद कक्षा में मेधावी छात्राओं में भी अरूचि दिखाई दी। अध्यापन कार्य करने में तभी मज़ा आता है जब पूरी कक्षा के छात्र–छात्राएं उसमें ध्यानपूर्वक रूचि लेकर पढ़ें। तभी मैंने कक्षा के समस्त छात्राओं से पूछा कि वे लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तब बच्चों से जवाब मिला कि मैडम सुन–सुनकर बोर हो गए हैं। आज हम लोगों को पढ़ने का मन नहीं है। सुबह से सभी विषय को पढ़ते हैं अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तब मैंने उन लोगों की बात मानकर कुछ अन्य विशय पर चर्चा किया। बच्चे भी बड़े मनोरंजन के साथ नए–नए विषय के प्रति अपनी रूचि दिखाकर सभी ने कुछ–कुछ अच्छी बातें सुनी व सुनाई तथा सभी छात्राओं ने अपनी–अपनी रूचि किसमें है, यह सभी ने क्रमबद्ध रूप से व्यक्त किया। फिर वह कालखण्ड पूर्ण हो गया और मैं कक्षा से बाहर आ गई। जब मैं दूसरे दिन उसी कक्षा में प्रवेश कर ही रही थी तो मैंने कुछ गाना–गाने की आवाज सुनी, जैसे ही छात्रों ने मुझे देखा वैसे ही पूरी कक्षा शांत हो गयी। मैंने पूछा क्या हो गया अभी तो अच्छे गाने की आवाज़ आ रही थी। क्यों ? सभी मौन हो गए। तब एक चुलबुली छात्र ने कहा कुछ नहीं मैडम खाली पीरियड था हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे।

मुझे लगा कि बच्चे आजकल फिल्म व अन्य मीडिया से ज्यादा प्रभावित है और उनका होना भी मूलतः स्वाभाविक है क्योंकि आज प्रत्येक घर में टी.वी. व टेप आदि चीजें उपलब्ध हैं। हमें ऐसा करना चाहिए कि विषय के प्रति ज्यादा–से–ज्यादा अपनी स्वयं की रूचि दिखायें। अपनी इच्छा से वह बच्चे समझने व पढ़ने के लिए तैयार रहें।

तभी मुझे पहले दिन का स्मरण हुआ कि बच्चों ने कहा था कि " हम बोर हो गए हैं।" तुरंत मैने सोचा कि बच्चों का सबसे ज्यादा रोचक खेल अंताक्षरी है, क्यों न देशभक्ति गाने पर ही अंताक्षरी खेला जाय।

गतिविधि–1

तब मैंने अपने विषय का ध्यान रखते हुए कक्षा के समस्त बच्चों को टीम में बांट दिया। एक लड़कों का दल, दूसरा लड़कियों का दल और आगे अंताक्षरी खेल प्रारंभ हुआ। सब बच्चों ने पहले नए देशभक्ति गीत है उन्हें सुनाया। धीरे–धीरे फिर पुराने गाने का स्मरण करने लगे व एक–दूसरे से पूछताछ कर पुराने देशभक्ति गीत याद करके गाए। मैं बीच–बीच पर जो गाने गा रहे हैं उनके फिल्म, संबंधित एक्टर का नाम उस समय का सन् भी पूछती जाती। इस अंताक्षरी खेल में बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था तथा उनका देश के प्रति भक्तिभाव भी प्रकट हो रहा था।

गतिविधि–2

जैसे ही मैंने दूसरे दिन कक्षा में प्रवेश किया, सामुहिक आवाज आई मेडम हम सब तैयार हैं। जैसे कि पूर्व से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने पूछा कि अंताक्षरी खेलने के लिए सब तैयार हैं। बच्चों ने कहा हाँ तैयार हैं। मैने खेल आरंभ करने के लिए कहा और दल व्यवस्था पूर्व की तरह थी एक लड़कों का दल दूसरा लड़कियों का दल। अंताक्षरी का प्रारंभ भारतीय महान नेता गांधीजी के नाम से भुरु हुआ तथा आगे सभी भारतीय नेताओं का नाम व दल तथा जन्म स्थान को सभी बच्चों ने बताया। इस तरह विदेश के नेताओं के नाम भी सामने आये।

इस तरह मैंने पाया कि अंताक्षरी का प्रारंभिक दौर में सभी भारतीय नेताओं के नाम सामने आये व बीच–बीच में मेरे द्वारा उनका जन्म–मृत्यु के बारे में पूछने पर बच्चों ने उसका भी उत्तर दिया। इस तरह से उनमें राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े महान विभुतियों के इतिहास की जानकारी होते नजर आ रही थी। तब उन्हें अन्य महानपुरुषों के बारे में भी जानकारी होते गई। प्रयास सराहनीय था। इस प्रकार खेल का अंत

करते हुए लड़कों ने बाजी मारी व अपने दल की जीत की खुशी इतनी हुई कि सभी लड़के झुमकर गाने लगे। मैं तुरंत बोली एक छोटी–सी दलगत व्यवस्था से आप लोगों ने यह खेल–खेला और जीत प्राप्त हुई। एक छात्र द्वारा यह जीत नहीं हुई है बल्कि सभी लड़कों की मेहनत है जो कि जानकारी इकट्ठा कर तैयारी से आए थे। इससे हम सबको खुशी हुई। तब बच्चों ने दल व्यवस्था को विस्तृत रूप से जानना चाहा, तब मैंने भारतीय दल व्यवस्था का पूरा अध्यापन करवाया और छात्र–छात्राओं ने ध्यानपूर्वक उसे सुना।

आगे का कार्य देते हुए मैंने बच्चों से कहा कि कल आप लोग सभी महानपुरुषों के फोटो (स्टीकर) लेकर आएंगे जो पहले नेता थे व वर्तमान में जो हैं। फोटो के नीचे उनका नाम लिखकर लाएंगे। इस प्रकार बच्चों ने फ़ोटो ढूंढने का कार्य प्रारंभ कर दिया और सभी बच्चों द्वारा कम से कम दो–तीन फोटो लाने को कहा गया।

गतिविधि–3

अगले दिन बच्चे महापुरूशों के चित्रों के साथ कक्षा में आए। तब मैंने सभी चित्रों को एकत्रित करके रखा। मैंने एक–एक चित्र पर से नाम छिपा कर उनसे पूछा कि "यह चित्र किसका है?" बच्चों ने कुछ के नाम बताए और कुछ के नहीं बता पाए। मैंने चित्र के नीचे लिखा नाम दिखाया, तब बच्चे उसे जोर से पढ़कर बोलते। मैंने कालबद्व करके चित्र दिखाने का प्रयास किया। पहले प्रचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। इस प्रकार से विशय की तरफ ले जाते हुए राजनीतिक चिंतन का विकास का अध्ययन कराने में मुझे ज्यादा मेहनत करने की आव यकता नहीं पड़ी।

अध्याय–7

मेरा गांव और राजनीति विज्ञान

देश की लघु इकाई गाँव – भारत गाँवों का देश है यहां की अधिकांश जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है। अतः देश की एकता अखण्डता बनाएं रखने में गांव का बहुमूल्य योगदान है। आज भी सारे देश के लिए आवश्यक वस्तुएं गांवों से ही प्राप्त होती है जिसके फलस्वरूप देश के आर्थिक विकास में मदद मिलती है ।

गाँवों की महत्ता प्राचीन समय में थी और आज भी है। प्रत्येक गाँव की अपनी भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक विशेषताएं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक महत्व होता है। प्राचीन समय में कबीला भी राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व का केन्द्र था, कबीले के सरदार या मुखिया के द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश ही कानून का रूप होते थे। प्रत्येक कबीला वहां का प्रशासनिक केन्द्र था और अपनी प्रभुसत्ता से भरपूर हुआ करता था। सामाजिक विकास के साथ–साथ सम्प्रभुता समाज के प्रमुख हाथों में चली गई और प्रजातंत्र के विकास के साथ–साथ प्रभुसत्ता के लिए संवैधानिक स्वरूप को स्वीकार कर लिया गया।

आज प्रत्येक गांव में वहां की परम्पराओं, रीति–रिवाजों, उत्सवों, व्यवसायों आदि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। बच्चों से बातचीत करते समय किसी गांव विशेश की इस तरह की विविध विशेषताओं का संकलन कराया जा सकता है।

स्थानीय सरकार की अवधारणा एवं व्यक्ति की भूमिका – आज हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार की प्रणाली प्रचलित है। केन्द्रिय सरकार एवं राज्य सरकार का निर्माण करते समय व्यक्ति की भूमिका अप्रत्यक्ष रहती है और वह वोट देने की प्रकिया को सरकार बनाने की प्रकिया और भविष्य में देश और राज्य में पड़ने वाले प्रभावों के साथ जोड़कर नहीं देखता है। यही कारण की वह वोट देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता है। आज भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा वोट डालने ही नही जाता। गाँव व्यक्तियों का समूह होता है और गाँव के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विकास में उसकी अपनी

भूमिका भी होती है। प्राचीन समय में एक गाँव में सभी तरह के घरेलू उद्योग धंधे हुआ करते थे। इसीलिए उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए अलग भटकने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। आज हमें अपने गांव के बच्चों के साथ बात करते समय इस प्रकार की बातों की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है। इन बातों के द्वारा हम बहुत आसानी से गाँव और राजनीति के बीच तारतम्यता स्थापित कर सकते है।

जब हम विद्यालय के छात्रसंघ का चुनाव कराते हैं तो बच्चों को मतदान की प्रक्रिया सीखाने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। हमें इस दौरान न सिर्फ चुनाव सम्पन्न कराना चाहिए बल्कि चुनाव की प्रकिया से जुड़ी हुई बातें – जैसे अधिसूचना जारी करना, आवेदन पत्र भरना, आवेदन पत्रों की जांच, चुनाव प्रचार, मतदान की प्रक्रिया, मतगणना, मतदान के परिणामों की घोषणा आदि के बारे में भी विस्तार से बताया जाना चाहिए तथा इस प्रक्रिया को चुनाव की मुख्य प्रक्रियाओं के साथ तुलनात्मक रूप से समझाए जाने पर बच्चे आसानी से चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में सीख जाएगें। इस प्रकार छोटी–छोटी बातों के माध्यम से बच्चे गाँव स्तर पर ही राजनीति की प्रक्रियाओं को सरलता से जान सकेगे।

स्थानीय प्रशासन में गांव वालों की भूमिका – स्थानीय प्रशासन में गाँव के लोग अलग–अलग भूमिका निभाते थे। अंग्रेजी शासनकाल के समय ग्राम जमींदार, पटेल, गौंटिया, आदि बड़े प्रभावी व्यक्ति थे। राजस्व संग्रहण, नीति निर्धारण, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण में इनकी भूमिका बड़ी प्रभावी थी। तात्कालीन समय में गाँव वालों ने इस व्यवस्था के अनेक फायदे भी देखे थे और अनेक कड़वे अनुभव भी झेले थे। कालांतर में इस प्रकिया में आमूलचूल परिवर्तन हुआ।

आजादी के बाद पंचायतों ने इस व्यवस्था का स्थान लिया। पंचायती राज व्यवस्था के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव कराकर गाँव के उत्साही, विवेकशील को गाँव का नेतृत्व दिए जाने की परम्पराओं की शुरूआत हुई। इस प्रकार की व्यवस्था ने लोगों में जागरूकता पैदा की वे अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति सजग होने लगे। इस व्यवस्था के फलस्वरूप प्राचीन जमीदारी, पटेल, गौटिया के नियत्रंण वाली

व्यवस्था का अंत तो हुआ लेकिन नए वैचारिक संघर्ष भी आरंभ हुए। आम आदमी अब अपने विचार प्रकट करने, गलत निर्णयों का विराध करने की साहस करने लगा। गाँव स्तर के लोगों में इस प्रकार गुणों का विकास भारत आजादी के फलस्वरूप उभरे नए विचारों का परिणाम भी एक प्रकार से यही गुण आम लोगों में राजनीतिक गुणों का विकास था।

वर्तमान समय में गाँव के लोग अनेक तरह से स्थानीय प्रशासन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते है। इन बातों को अनेक उदाहरणों से समझा जा सकता है। चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर और विजय हासिल कर गाँव के लोग पंच, उपसरपंच, सरपंच आदि पर विराजमान होकर स्थानीय प्रशासन में सीधी भागीदारी निभाते है। इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक अवसर आते है जब गाँव के अनेक व्यक्ति बिना किसी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिए ही वहां पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाते है। इन कार्यो में वे ही व्यक्ति खुलकर आते हैं जिनमें नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक योग्यता, उत्साह, साहस जैसे गुण रहते है। जरूरी नहीं की ये गुण उनमें बहुत अधिक मात्रा में हो, लंकिन जिनमें इस तरह का गुण मौजूद रहता है वे ही इस तरह के कार्यो में उत्साहपूर्वक आगे आते है। गाँव में मनाए जाने वाले त्यौहारों, मेले, मड़ई, जंवारा, रामायण प्रतियोगिता, रावत नाचा प्रतिस्पर्द्धा का आयोजन, विभिन्न धर्म, पंथ, मतावलंम्बियों द्वारा मनाए जाने वाले धार्मिक यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकाण्ड के आयोजन के समय वे अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर अपने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते है। ऐसे अवसरों पर ऐसी कई घटनाएं/विचार/विरोध/ वैचारिक मतभेद भी होते है जो इस तरह के आयोजनों को विफल कर सकते है। इन बातों को वह अपनी राजनीति गुणों, नेतृत्व क्षमता के आधार पर ही कुशलतापूर्वक निर्वहन कर लेता है। इन सभी बातों में गाँव के बच्चे आयोजनों मे अपनी भूमिका निभाकर सक्रिय रूप से भाग लेते है। साथ ही वह आयोजनों में अपनी भूमिका निभाकर सक्रिय रूप से भाग लेते है। साथ ही वह उपरोक्त तरह से गाँव में घटित घटनाओं का अवलोकन भी करते रहते है। इन बातों के माध्यम से वह बिना सीखाए ही वह अप्रत्यक्ष रूप से गाँव में चलने वाली राजनीति को सीखते भी रहते हैं। बच्चों से इन बातों के बारे में चर्चा करके

स्थानीय स्तर पर राजनीति की समझ पैदा करने के बाद उन्हें विकासखंड, जिला और राज्य की राजनीति की समझ पैदा कर सकते है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण गांव की राजनीति को बताने के लिए और दिए जा सकते है।

स्थानीय सरकार के अधिकार एवं कर्त्तव्य – स्थानीय सरकार में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था शामिल है जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तथा ग्राम पंचायत स्तर की सरकार की अवधारणा शामिल है। हमारा आलोच्य विषय अभी ग्राम स्तर पर संचालित सरकार की अवधारणा से है जो ग्राम के विकास को प्रभावित करती है। ग्राम स्तर पर संचालित स्थानीय सरकार के प्रमुखतः निम्नांकित अधिकार एवं कर्तव्य है –

- पंचायत स्तर की बैठकों में प्रस्ताव पारित कर ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें संचालित करना।
- ग्राम स्तर पर संचालित सरकारी संस्थाओं जैसे विद्यालय, औषधालय, सहकारी समितियां व इसी तरह की अन्य सभी समितियों का मानिटरिंग करना ।
- यह सुनिश्चित करना कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित सभी योजनाओं का कियान्वयन सही रूप से हो रहा है या नहीं ।
- प्राप्त मदों का सही उपयोग सुनिश्चित करना ।
- ग्राम स्तर के विवादों का निपटारा करना ।

स्थानीय स्तर पर बच्चा अपने गाँव के स्थानीय सरकार में शामिल कियाकलापों को देखता रहता है। वह यह भी देखता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी ग्राम विकास के क्रियाकलापों को किस तरह से नजरअंदाज कर देते है। निजी हितों के लिए समूह के हितों की किस तरह से बलि दे देते है, *विकास कार्यो के लिए प्रापत राशि का किस* तरह से दुरूपयोग होता है, वे अपने लिए निहित कर्त्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पा रहे है तब भी वह अपने विचार, समीक्षा आदि नहीं दे पाता। जब बच्चा गाँव की राजनीति व्यवस्था से शिक्षा एवं विकास को जोड़कर देखना शुरू कर देगा तब उसके राजनीतिक समझ का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। हमें इस दिशा में काम

करने की आवश्यकता है कि हम बच्चों में किसी भी कार्य के प्रति समीक्षात्मक क्षमता का विकास कैसे करे? इस तरह की बातों में समझ विकास के लिए हमें विद्यालय में परिचर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक, साहित्यिक व अन्य विविध कार्यक्रमों के दौरान बच्चों को ऐसे विषयों पर विचार प्रकट करने के अवसर देना चाहिए। अपने विद्यालय, ग्राम व अन्य चीजों के विकास के लिए उभरकर आई बातें ही बच्चों के राजनीतिक समझ को दर्शाने वाली होगी। बच्चों के बीच से उभरी इस तरह की नई बातों से शाला प्रबंध एवं विकास समिति, पंच, सरपंच अन्य जनप्रतिनिधि आदि को अवगत भी कराना चाहिए। एक तरफ इससे स्थानीय सरकार बच्चों के विचारों से अवगत होंगे तथा स्वतःस्फूर्त नियंत्रित भाव से काम करने लगेंगे तो दूसरी तरफ बच्चों में राजनीतिक सोच उत्पन्न करने में मदद मिलेगी ।

सरकारी सुविधाओं का उपभोग कैसे करें – ग्राम स्तर से ही बच्चों में नागरिक गुणों का विकास करने की आवश्यकता होगी। ऐसे अनेक उदाहरण जुटाए जा सकते हैं जब सरकार अपने नागरिकों को विविध सुविधाएं प्रदान करती है किन्तु बड़ों में चेतना का अभाव के कारण वे सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती – जैसे ग्राम पंचायत द्वारा गाँव के वार्डो में रोशनी के लिए बिजली के बल्व, ट्यूबलाईट्स, आदि लगाया जाता है गाँव के ही बच्चों/असामाजिक तत्वों के द्वारा ये बल्व या ट्यूबलाईट पत्थर मारकर तोड़ दिया जाता है, ऐसी शरारतों के बारे में जानकर भी अनदेखा कर देते है, और असुविधा सारा गाँव झेलता रहता है। घरो, वार्डो में लगे पेयजल के लिए नलों की टोटियां तोड़कर या नलों को खुला छोड़कर पानी की बर्बादी करते रहते है और संकट भी खुद झेलते रहते है। हमारे आस–पास इस प्रकार के उदाहरणों की भरमार है। सड़के, नाली, स्कूल भवन आदि का निर्माण भी कुछ लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किए जाते है। यह गाँव की राजनीति का हिस्सा होती है। बालक इन सभी बातों को देखता है, अनुभव करता है और उसी के आधार पर उसके मन में स्थानीय सरकार के प्रति यथोचित भाव का निर्माण हो जाता है और यह उसमें उसके जीवन भर रहता है। अतः हमें यहाँ पर सचेत रहकर कार्य करने की आवश्यकता है।

गांव की सरकार बनाते समय पैंतरे बाजी – गांव मे सरकार का निर्माण करते समय अनेक तरह की पैतरेबाजी चलते रहती है। नामांकन के समय एक ही परिवार के लोगों को अलग–अलग गुटों में चुनाव मैदान में उतार देना, एक ही नाम के दो लोगों को चुनाव में खड़े करना ताकि चुनाव में लोगों को भ्रमित किया जा सके और मतों का विभाजन हो सके। लोगों के आवेदन पत्र खारिज कराने की जुगत लगाना आदि। बालक इन बातों को गाँव में प्रत्यक्ष रूप से देखता है और जब वह कक्षा में पहुँचता है तो उसे सरकार के विभिन्न प्रकार – राजतंत्र, कुलीनतंत्र, प्रजातंत्र व समाजवाद आदि के गुण दोषों के बारे में पढ़ता है। उसे पुस्तकीय ज्ञान और वास्तविक स्थिति में अंतर दिखाई देने लगता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किस तरह से बच्चों में उन गुणों का विकास हो सके ताकि वह इस तरह की बातों में विवेकपूर्ण ढंग से विभेद करना सीख जाए। वह राजनीति के उज्जवल पहलू को तो स्वीकार करे किन्तु वे बातें जो विकास में बाधक बनती है उन्हें छोड़ना व उनका विरोध करना भी सीख जाए। राजनीति की कक्षाओं में हमें बच्चों को इस तरह की बातें सिखानी होंगी।

गांव की राजनीति एवं लोकतंत्र – भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत का दिल गांवों में बसता है। यदि गांवों की राजनीति में सुधार होगा तभी हम लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकते है। इसलिए लोगों मे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास और लोकतांत्रिक गुणों का विकास करने के लिए गांव से ही राजनीति के स्तर को सुधारना होगा। ऐसा तभी संभव है जब हमारे उन छात्रों में जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते है, ऐसी समझ का विकास करना होगा जो इस व्यवस्था का समर्थक हो। इसके लिए हमें ग्राम स्तर से ही प्रयास करना होगा। गाँव से जनपद, जिला राज्य, केन्द्र और अंतराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के प्रति निर्भरता के भावों को उभारने की आवश्यकता होगी।

- कई ऐसे समय आते हैं जब गांव के बड़े बुजुर्ग भी अपनी प्रतिक्रियां व्यक्त करते हुए प्रशासनिक स्वरूप को महत्वपूर्ण दिशा देते हैं। जैसे – सुखे या बाढ़ के

समय में अपने अनुभव से संकट से मुक्त होने के लिए उपाय बताना, आदि। ऐसे अवसरों पर भलाई के लिए नियम बनाने में पंचायत की मदद कर सकते हैं।

- जिस तरह राज्य व नगर के विकास के लिए अलग–अलग समितियाँ बनाई जाती है, इसी तरह गांव के विकास के लिए भी समितियाँ बनाई जाती है। ये समितियाँ अपनी जरुरतों के अनुकूल कार्य करती हैं।
- गांव में पलायन की समस्या प्रमुख रूप से देखी जा रही है। इसके कारणों की सूची बच्चों से बनवाई जा सकती है।
- हमारे गांव में सबसे पहले निर्वाचित सरपंच तथा पंचायत के सदस्यों के नाम की सूची तैयार करने के लिए कह सकते हैं।
- गांव में कितने प्रकार के व्यवसाय चल रहे हैं इनकी सूची तैयार करने के लिए बच्चों से कह सकते हैं। गांव के मड़ई–मेले की व्यवस्था कैसे की जाती है या बाजार की व्यवस्था कौन करता है? व कैसे होती है? एक अवलोकन करने को कह सकते हैं।
- ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण करने कह सकते हैं।
- गांव का विद्यालय प्राचार्य, शिक्षक तथा छात्र मिलकर चलाते हैं।

निष्कर्ष– इन बातों के माध्यम से बच्चों में प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय व्यवस्था का अवलोकन करके उनकी ज्ञान क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इस तरह प्रबंधकीय व्यवस्था के साथ ही साथ समायोजन की क्षमता भी बढ़ते जाती है। गांव तथा शहर की तुलनात्मक चिंतन भी किया जा सकता है। गाँव की सड़क, पशु, फसल, पेयजल तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की व्यवस्था से संबंधित अवलोकन के अवसर भी बच्चों को मिलना चाहिए। हमारें यहां राजनीति विज्ञान का उच्च स्तर का प्रमाण–पत्र धारी व्यक्ति भी राजनीतिक दलों के कियाकलाप, देश के विकास का परस्पर संबंध, हमारी आर्थिक एवं वैदेशिक नीतियां, हमारी आंतरिक नीतियां, हमारें समक्ष आसन्न संकट जैसे महगांई आतंकवाद, नक्सलवाद, जैसे कई बातों पर अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन विषयों के पढ़ने का कोई

औचित्य ही नहीं रह पाता। अतः इन विषयों के माध्यम से हमें प्रारंभिक कक्षाओं से ही इन बच्चों में राजनीतिक संचेतना का विकास करना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान का ज्ञान ही इस दिशा में प्रभावी एवं सशक्त माध्यम हो सकता है। इसके लिए हमें अपनी पुस्तकों, कक्षाध्यापन के समय अपनाई जाने वाली विधियों, गतिविधियों के माध्यम से कई तरह से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम राजनीति विज्ञान के ज्ञान को पुष्ट करने में मदद कर सकते है।

अध्याय–8

बच्चों के अनुभव

राजनीति विज्ञान का संबंध जीवन के हर पहलू से होता है। यदि ध्यान से महसूस करें तो हम दिन–प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, जो भी हम पहली बार महसूस करते हैं सभी में राजनीति विज्ञान की समझ छिपी हुई होती है। हम अपने को भारत के नागरिक कहते हैं। यह स्वतंत्रता का आभास हमें तब होता है, जब कोई इस स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास करता है। समानता की कमी तब होगी जब हमारे सामने ऊंच–नीच के प्रसंग आते हैं। यहाँ हम कुछ अनुभव दे रहे हैं जो बच्चों के हैं। इन्होंने महसूस किया और जाना कि उनके जीवन में राजनीति विज्ञान कैसे जुड़ा हुआ है।

" दादी के घर में चिड़िया का घोसला"

अचानक कमरे में आते ही राजा की नजर दादी पर पड़ी। दादी घोसले से गिरे चिड़िया के एक नन्हें बच्चे को उठाकर संभाल रही थी। चिड़िया के बच्चे की आंखें बंद थी, बिना पंखों के अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर वह बैठने का प्रयास कर रही थी। दादी ने बड़े यत्नपूर्वक घांस–फूस जमाकर बरामदे के एक कोने में उसे रख दिया और चिमटी में चंवल फंसाकर उसे दाना चुगा रही थी। दादी को उस चिड़िया के बच्चे को दाना–पानी खिलाते देखकर राजा के आंखों में चमक आ गई। उसने दादी से पूछा–दादी यह तुम्हें कहां मिला?

दादी :– कोने के खिड़की पर चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए घोसला बनाया है। उसमें उसके बच्चे हैं। एक नीचे गिर गया। दादी के साथ राजा और रूचि का चिड़िया के बच्चे पर मोह बढ़ने लगा। चिड़िया को दाना–पानी देना उनकी दिनचर्या में भामिल हो गया।

राजा :– दादी, हम एक पिंजरा लेकर उसमें इसे रखकर पालेंगे।

दादी :– नहीं, इसके पंख निकल आने पर हम इसे उड़ा देंगे।

राजा :– क्यों? नहीं दादी हम इसे नहीं छोड़ेंगे।

दादी :– नहीं बेटा, हर प्राणी स्वतंत्र रहकर ही अच्छी तरह विकसित होता है। परतंत्रता में नहीं।

रूचि :– हाँ हमारी सोने की चिड़िया कहलाने वाला, संस्कृति व धर्म का गौरवशाली देश पराधीनता में सदियों तक जकड़ा था। उसके विकास के सभी रास्ते अवरूद्ध थे।

दादी :– हमारे देश के महान पुरूषों गांधी, तिलक, सुभाषचंद्र बोस, विवेकानंद ने भारतीयों को जाग्रत किया एवं देश की परतंत्रता से मुक्त किया।

रूचि :– हां, बहुत कठिनाई से प्राप्त स्वतंत्रता को हमें सम्हाल कर रखना होगा।

राजा :– इसके लिए हमें क्या करना होगा?

दादी :– हमें अपने आसपास के असहाय, दीन–दुखियों की सहायता करनी होगी उन्हें सहारा देकर सबल बनाना होगा तभी हमारा देश सशक्त होगा।

इतने में दादाजी बाहर से लौटते हैं।

राजा :– दादाजी आप कहां गये थे?

दादीजी:– मेरे एक मित्र विवेकानंद नगर में रहते हैं। उनसे मुलाकात करने गया था।

राजा :– इस नगर को विवेकानंद नगर क्यों कहते हैं?

रूचि :– आजकल प्रत्येक वार्ड को महापुरूषों व शहीदों के नाम पर नामकरण किया जाता है।

राजा :– विवेकानंद कौन थे?

दादाजी :– हमारे देश के महापुरूषों में से एक थे।

राजा :– उन्होंने कौन से महान कार्य किये?

दादाजी :– भारतीय युवकों में जन जागृति का प्रसार किया, विदेशों में भ्रमण कर वहां हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के प्रति फैली भ्रांति को

दूर कर भारतीय गौरव के प्रति आस्था उत्पन्न की। बच्चों हमें हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए।

रुचि :– दादाजी, उन्होंने दीन–दुखियों को सहारा दिया। उन्होंने अशक्त, असहायों के लिए अपने गुरू रामकृष्ण परमहंस के नाम से आश्रम स्थापित किया। वहां सब रोगी, अपंग, उम्रदराज की सेवा में अपना जीवन बिताया।

दादीजी :– हां बच्चों, समाज के असहाय लोगों की सहायता कर हम समाज के प्रति एक छोटा–सा कर्त्तव्य करते हैं जो देश के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है।

रुचि :– हमें अपने परिवार, पड़ोस, शहर के उम्रदराज, अस्वस्थ, असहाय लोगों की सहायता कर आदर्श नागरिक के रूप में मानवीय मूल्यों को अपनाना है। हम असहायों की सहायता कर उन्हें सशक्त बनाते हैं। तब देश में सभी सशक्त नागरिक होंगे तो हमारे देश का प्राचीन गौरव अखंड होगा।

– गीता

"मधुमक्खी का छत्ता"

एक दिन राजा और रूचि दादाजी के साथ प्रातः भ्रमण के लिए उद्यान गये। उद्यान में रंग–बिरंगे फूलों से लदे पौधे, उन पर मंडराती तितलियों व भौरों को देखकर बच्चे बहुत खुश थे। अचानक राजा का ध्यान एक पेड़ पर बने मधुमक्खियों के छत्ते की ओर आकर्षित हुआ। उसने दादाजी से कहा दादाजी आम के पेड़ पर यह क्या है?

दादाजी :– यह मधुमक्खी का छत्ता है।

राजा :– ये मधुमक्खियाँ यहाँ क्या कर रही हैं?

दादाजी :– ये मधुमक्खियाँ, उद्यान के पुष्पों से पराग लेकर मधु तैयार कर रही हैं।

रूचि :– दादाजी, क्या ये लम्बे समय तक जीवित रहती है?

दादाजी :– नहीं, इनका जीवन काल कुछ माह का होता है।

रूचि :– थोड़े से जीवन काल में ये क्या कर सकती हैं?

दादाजी :– ये अपने परिश्रम से दुनिया को एक खूबसूरत मधुर तोहफा देती है जो मिठास से पूर्ण होता है। बच्चों हमें भी ऐसे ही सहयोग के साथ मिलजुलकर नेक कार्य करना चाहिए, जो हमारे गांव, भाहर, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए उपयोगी हो।

रूचि :– कुछ मधुमक्खियाँ इस ओर आ रही है। हमें यहां से जाना चाहिए।

दादाजी :– हां, ये हमें काट सकती है।

राजा :– दादाजी, इन मधुमक्खियों के छत्तों को किसी भी प्रकार नुकसान करने पर ये नाराज हो जाती है।

रूचि :– हां ये मधुमक्खियां, उनके छत्ते को नुकसान पहुंचाने पर वे समूह के साथ हमला कर देती है एवं दूर तक पीछा करती है, इनसे बचना बहुत मु कल होता है।

दादाजी :– बतलाओ, इन मधुमक्खियों से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है?

राजा :– हमें मिलकर रहना चाहिए, परस्पर सहयोग के साथ अच्छे कार्य करना चाहिए।

रूचि :– इससे क्या होगा?

राजा :– एकता में भाक्ति होती है, इसलिए हम लोगों को भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। मिलजुलकर रहना चाहिए जिससे यदि कोई आतंकवादी हम पर आक्रमण करता है तो हम सब मिलकर सहयोग से मुकाबला कर सकते हैं एवं उसके बुरे इरादों को ध्वस्त कर सकते हैं।

– गीता

★ ★

मेरा परिचय

मेरा नाम रीता एलिजाबेथ कुजूर है। मैं इसाई धर्म की अनुयायी हूँ। वर्तमान में मैं शासकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्रशिक्षार्थी हूँ और भविष्य में शिक्षिका बनना चाहती हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं अपनी तारीफ क्यों किये जा रही हूँ। तो वास्तविकता यह है कि इन सभी पहचान के बावजूद एक भारतीय कहलाना ज्यादा पसंद करती हूँ। अपने देश के संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकारों का समुचित उपयोग कर सकती हूँ। मैं उस देश में वास करती हूँ जहाँ प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सभी अपने धर्मों का स्वतंत्र रूप से अनुशरण कर सकते हैं तथा अन्य धर्म को ग्रहण भी स्वेच्छा से कर सकते हैं। अपने देश के नेता चुनने का अधिकार भी हमें प्राप्त है तथा बोलने या विचारों की अभिव्यक्ति का भी अधिकार प्राप्त है। यदि कोई शोषण होता है मुझ पर या किसी दूसरे पर तो मैं उसके विरूद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर सकतीं हूँ क्योंकि मुझे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मैं

उस देश की नागरिक हूँ जहाँ विविधताओं, अनेकताओं के बावजूद हम एक हैं, स्वतंत्र हैं। अब मेरा परिचय मैं भारतीय हूँ।

मैंने मौलिक अधिकारों को जाना। मुझे भारत का नागरिक कहलाने में गर्व है।

रीता एलिजांबेथ कुजूर

★ ★

मेरे गांव का कुआँ

मेरे गांव में एक बड़ा कुंआ है जिसमें गांव के सभी लोग पानी भरते हैं। मेरे दादाजी ने बताया कि पहले गांव के कुछ लोग अपने को उच्च जाति का बताकर और हमें निम्न जाति का बताकर कुंए से पानी नहीं भरने देते थे। वे हमसे छुआछूत मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी जातियां बराकर है और अब गांव में सभी लोग मिलकर बिना भेदभाव के रहते हैं। अब सभी लोग कुंए से और हैण्डपंप से पानी भरते है।

★ ★

मेरे स्कूल में छात्र संघ का चुनाव

मेरे स्कूल में छात्र संघ का चुनाव हुआ जो छात्र चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें प्रचार करने का मौका दिया गया। उन्होंने सभी कक्षाओं में घूम–घूमकर सबको अपने चुनाव लड़ने के उद्देश्य बताये। फिर सभी कक्षाओं में मतदान कराया गया। प्रत्येक छात्र ने कागज की स्लिप में उस छात्र का नाम लिखा जिसे वह चुनना चाहता है। फिर स्लिप के मोड़कर चाक के खाली डिब्बे में डाला गया। बाद में प्राचार्य महोदय के समक्ष हाल में गिना गया और ज्यादा वोट पाने वाले छात्र को छात्रसंघ का अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह अन्य पदों पर भी चुनाव हुए।

★ ★

शीत युद्ध

एक कक्षा में रमेश और सतीश एक–दूसरे से बात नहीं करते थे और एक–दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। हमारे शिक्षकों को भी यह बात मालूम थी। एक दिन राजनीति शास्त्र वाले सर 'शीतयुद्ध' पढ़ा रहे थे। उन्होंने रमेश ओर सतीश का उदाहरण देकर बताया कि इन दोनों की तरह ही जब राष्ट्रों के बीच युद्ध जैसा तनाव बना रहता है और प्रत्येक राष्ट्र एक–दूसरे को नीचा दिखाने और कमजोर बनाने की चेष्टा करता रहता है तो इसे ही शीतयुद्ध कहा जाता है। इस उदाहरण से सभी बच्चे कक्षा में खिल खिलाकर हंस पड़े। रमेश और सतीश झेंप गये और आगे एक–दूसरे से दुश्मनी नहीं करने की तौबा कर ली। अब वे दोस्त बन गए थे।

– आर.के वर्मा